न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 86/2019 (2698/2016)

GCMS NO. : 2016/00079

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. नोरतमल पुत्र नारायणलाल 2. राजू पुत्र नारायणलाल के का.मु. 2/1. श्रीमति गंगादेवी पत्नि राजेन्द्रप्रकाश 2/2. दिव्यांशी पुत्री राजेन्द्रप्रसाद 2/3. भव्यांश पुत्र राजेन्द्रप्रसाद नम्बर 2/2 व 2/3 नाबालिग है उनके कुदरती वली उनकी माता श्रीमति गंगादेवी। 3. गोरधनलाल पुत्र नारायणलाल 4. विमलादेवी पुत्री नारायणलाल जातियान ब्राह्मण निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली।		1. पन्नालाल पुत्र चम्पालाल 2. कमला बेवा चम्पालाल 3. कानाराम पुत्र बद्रीनारायण 4. रामलाल पुत्र बद्रीनारायण 5. पानीदेवी पत्नि बद्रीनारायण 6. लालचन्द पुत्री हीरालाल 7. प्रेमप्रकाश पुत्र हीरालाल 8. चेतनप्रकाश पुत्र हीरालाल 9. बसन्ती पुत्री हीरालाल 10. कन्या पुत्री हीरालाल 11. गीतादेवी पत्नि हीरालाल जातियान ब्राह्मण निवासीगण बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली। 12. तहसीलदार, जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 23/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री शिवरतन भण्डारी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 28/07/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाडा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायलान् व गैरसायलान् की सामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन जो पैतृक भूमि थी जो चली आ रही है जो उक्त कृषि भूमि शुरू से ही मना गना आपस मे बंटी हुई है उसी माफिक सबजनो का अपने अपने हिस्से पर भाई बंट के अनुसार काश्त व कब्जा है। सायलान् के पिता नारायणलालजी चार सगे भाई ये [illegible] जी, फिर बद्रीनारायण जी, हीरालालजी व नारायणलाल जी थे इन चार[illegible] देहान्त हो गया है उनके वारिसान का मुतनाजा जमी[illegible] व कब्जा [illegible] गैरसायलान् संख्या 11 गीतादेवी पत्नि हीरालाल जी [illegible] रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा का 1/2 हिस्सा 9 बीघा 12 बिस्वा के खातेदार [illegible]कार श्री सत्यनारायणजी महाजन से बेचान द्वारा खरीद कर ली थी जो जमाबन्दी मे इन्द्राज है। सायलान् और गैरसायलान् की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन निम्नानुसार खसरा नम्बर 1303 रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 1352 रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा किस्म बारानी दोयम आई हुई है। इस वर्णित खसरा नम्बर की आराजी की नकल चालू जमाबन्दी नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ पेश की जा रही है। उपर वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि मे खसरा नम्बर 1303 का रकबा 25 बीघा 08 बिस्वा और खसरा नम्बर 1952 का कुल रकबा 19 बीघा 04 बिस्वा मे आधा रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा दोनो खसरान् का कुल रकबा 35 बीघा मे से सायलान् का 1/4 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा आता है। इसी प्रकार कमशः गैरसायलान् संख्या एक व दो का 1/4 हिस्सा रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा आता है व गैरसायलान् संख्या तीन से पांच का 1/4 हिस्सा रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा आता है। गैरसायलान संख्या 6 से 11 का 1/4 हिस्सा रकबा का 08 बीघा 15 बिस्वा आता है। गैरसायलान् संख्या एक से ग्यारह माफिक अपने हक हिस्से अनुसार आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे है और काश्त करते है। उक्त आराजी सायलान् और गैरसायलान् की संयुक्त व शामलाती है जिसका अभी तक कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कोई बंटवाडा नही हुआ है। सायलान् अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद डालकर भूमि को उपजाउ बनाकर उस पर आधुनिक तरीके से काश्त करना चाहते है। इसके लिये आराजी का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा किया जाना आवश्यक है। सायलान् ने सभी शामलाती परिवार वालो को माफिक हिस्से जमीन का बंटवाडा कराने का कहा तो मुतनाजा जमीन का बंटवाडा करने से आनाकानी की क्योकि गैरसायलान् संख्या एक से ग्यारह की नियत खराब है अतः गैरसायलान् संख्या एक से ग्यारह तारीख 12/10/2016 को बिल्कुल ही मना कर दिया। ऐसी सुरत मे सायलान् के लिये बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र करना जरूरी हो गया अतः वादपत्र बंटवाडा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा तथा यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अदालत बाला मे पेश है। सायलान् और गैरसायलान् संख्या एक से ग्यारह के बीच तकासमा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस नही होने व माफिक इच्छानुसार काश्त नहीं कर सके तो सायलान को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नही हो सकेगी और सायलान को बार बार कानूनी कार्यवाही करनी पडेगी जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी इसलिये तकासमा बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् करना आवश्यक है। इस कारण वाद तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खिलाफ गैरसायलान संख्या एक से ग्यारह के पेश है। सायलान् विवादित आराजी मे से माफिक अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है और कराते हैं लेकिन गैरसायलान् की नियत खराब है क्योकि सायलान् बलाडा आते जाते है परन्तु ब्यावर व अन्य जगह नोकरी करते है और गैरसायलान् संख्या एक से ग्यारह बलाडा में रहते है जिस कारण सायलान् को काश्त करने मे गैरसायलान् बदयान्तीपूर्वक जानबुझकर काश्त के कार्य मे द[illegible] करते है जो गैरसायलान् संख्या एक से ग्यारह को नहीं करना [illegible] संख्या एक से ग्यारह पारिवारिक सदस्य होने की वजह से सायलान् लोक [illegible] से सहन करते है परन्तु सहन करने की भी सीमा होती [illegible] लांघ रहे है। इस कारण मजबुरन यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र गैरसायलान् संख्या एक ग्यारह के खिलाफ करना पड़ा है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टया मामला सायलान् के पक्ष मे साबित है तथा सायलान् का मौके पर अपने हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान के पक्ष मे सावित है। गैरसायलान द्वारा सायलान् को उसके हक हिस्से बंट की कब्जे काश्त की भूमि मे दखलन्दाजी करते है एवं उनको उनके हक हिस्से की भूमि बेदखल कर देते है तो सायलान् को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं विविध प्रकार की मुकदमेबाजी होगी व पेचीदगीया बढेगी इसलिए इन तमाम परिस्थितियो मे सायलान के पक्ष में व गैरसायलान् के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक होने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। मय शपथपत्र व अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि वादपत्र के पद संख्या तीन में वर्णित भूमि सायलान् अपने हक हिस्से की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे या करावे तो उसमे गैरसायलान उनके बच्चे नोकर चाकर हाली एजेन्ट आदि किसी प्रकार से दखल व दस्तन्दाजी नही करे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जावे व वर्तमान मौके एवं रेकर्ड की स्थिति को वाद के अंतिम निस्तारण तक यथावत् रखने बाबत् भी गैरसायलान् को पाबन्द फरमायें एवं प्रार्थनापत्र की रूह से अन्य कोई सहायता सायलान् प्राप्त करने के अधिकारी हो तो दिलायी जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान संख्या 09 व 10 बावजूद मूल वाद में सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायलान संख्या 1 से 8 व 11 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो सा0 मि0 है। गैरसायलान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनों का जवाब है कि सरहद मौजा बलाड़ा में पक्षकारान की पेतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि स्थित है। उक्त भूमि का अपने पिता गणेशमलजी के समय में पिछले 40 वर्षो से बंटवाड़ा हो रखा हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में दर्ज कथनों का जवाब है कि गणेशमलजी के चारों पुत्र चम्पालाल, बद्रीनाराण, हीरालाल व नारायण का देहान्त हो चुका है। खसरा नम्बर 1352 रकबा 19-04 बीघा में 1/2 हिस्सा 9-12 बीघा भूमि को गैरसायल संख्या 11 में उक्त भूमि के खातेदार सत्यनारायण से क्रय की अन्य कथन गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में दर्ज कथनों का जवाब है कि सरहद मौजा बलाड़ा में खसरा नम्बर 1303 रकबा 25-08 बीघा, खसरा नम्बर 1352 रकबा 19-04 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में पक्षकरान के सामलाती खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में दर्ज जवाब है कि खसरा नम्बर 1303 रकबा 25-08 बीघा व खसरा नम्बर कथनों क[illegible] रकबा 19-04 बीघा में 1/2 रकबा, 9/12 बीघा दोनों खसरा में कुल [illegible] में सायलान का 1/4 अर्थात 8-15 बीघा भूमि बनती है परन्तु मौके पर [illegible] का किसी भू भाग पर कब्जा नही है। पड़ौसी खातेदारान ने कब्जा कर रखा है जबकि उतरदाता गैरसायलगण का 1/4, 1/4 अर्थात 8-15 बीघा पर मौके पर [illegible] 40 वर्षो से कब्जा काश्त हैं तथा खेतों के बीच मांठ व तारबन्दी है उक्त भूमि का बंटवाड़ा कानूनन बाई मिटप्स् एण्ड बाउन्डस के किया जाना आवश्यक है। सायलान ने उत्तरदाता गैरसायलान को दिनांक 12.10.2016 को बंटवाड़ा हेतु नहीं कहा न ही गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

की नियत खराब है जब मौके पर सायलान उक्त के किसी भू–भाग पर कब्जा ही नहीं है तो वह बंटवाड़ा व अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 में दर्ज कथन गलत है सायलान के हिस्से की भूमि को पड़ौसी खातेदारान ने कब्जा कर रखा है। उतरदाता गैरसायल के पास जितनी भूमि राजस्व रेकर्ड में है उसी हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करतें है के हिस्से की भूमि पर गैरसायलान का कोई अतिक्रमण नही है तथा सायलान का जब मौके पर किसी प्रकार का कब्जा ही नही है तो उसे किसी प्रकार की असिम हानि होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं है। अन्य कथन गलत है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 में दर्ज कथन गलत व झूठे है। सायलान का अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त नही है तो फिर गैरसायलान के लिए नियम खराब होना व काश्त के कार्य में दखलदान्जी करना आदि के कथन गलत व झूठे है। सायलान का मौके पर कब्जा ही नही है तो अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नही हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 में दर्ज कथनो का जवाब है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जमाबन्दी में सामलाती खातेदारी में दर्ज है इसलिए प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच पर हक व अधिकार होने से सायलान गैरसालयान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नही है। सायलान का मौके पर किसी भू–भाग पर कब्जा ही ही है तो सायलान के पक्ष में न तो प्रथम दृ ष्टिया मामला हैं व नही सुविधा का सन्तुलन है। सायलान का जब कब्जा ही नहीं है तो उन्हें हक हिस्से की भूमि से कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी करना व उन्हें बेदखल करना अपूर्णीय क्षति होना आदि के कथन पूर्णतय गलत है। इस कारण से सायलान को कोई असिम हानि नहीं हो रही है। इसलिए सायलान गैरसायलान के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेज पेश निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमायें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई । हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **प्रथम दृष्ट्या मामलाः–** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र, अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। जमाबंदी संवत् 2069–2072, ग्राम बलाडा से भी इस [illegible] की पुष्टि [illegible] मान्य सिद्धान्त है कि प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक [illegible] पर [illegible]ामित्व एवं कब्जा माना जाता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी[illegible] का यह कथन [illegible]र नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त आराजी में केवल प्रार्थीगण के पक्ष [illegible] प्रथम दृष्ट्या मामला है। लिहाजा यह बिन्दु बखूबी साबित नहीं होता है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** साधारणतयाः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान उपभोग/उपयोग का लाभार्थी महत्वपूर्ण होता है। बिन्दु संख्या 01 के विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी सामलाती भूमि है। अतः ऐसी स्थिति में

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seerwer
Date: 2022.01.14 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हिस्से में सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष में ही निहित है फलतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निहित होना साबित नहीं होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। साथ ही चूंकि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण भी सहखातेदार है तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने खातेदारी अधिकार का उपयोग एवं उपभोग करनें का प्राथमिक अधिकार होता है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें से इन्हें अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पडेगा। जिससे अपूरणीय क्षति अप्रार्थी को होना संभव है। अतः यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.14 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested